न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 63/2022

अनवान :

सतबीरसिंह पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. मोहनलाल पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
2. तोलाराम पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
3. बनवारी पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
4. भगतराम पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
5. कलावती पुत्री मोहनलाल पत्नी सुबेसिंह जाति जाट नि0 शेरड़ा भादरा।
6. कमला पुत्री मोहनलाल पत्नी सतबीरसिंह जाति जाट नि0 शेरड़ा भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र पचार : **वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र गढ़वाल : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 07.06.22**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 349/335 के खसरा संख्या 199/1 की 1.1630है0 बारानी, खसरा सं0 304/1 की 3.6040है0 बारानी, खसरा नं0 304/2 की 0.7590है0 बारानी, कुल खसरा 3 की 5.5260है0 बारानी प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रामरतन की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सतबीरसिंह पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी शेरड़ा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही शेरड़ा संवत 2075–78

Scanned with CamScanner

खाता सं0 349/335 प्रदर्श 1, पैतृक जमाबंदी शेरड़ा संवत 2020 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शेरडा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने शेरड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण पत्र में चार पुत्र सतवीरसिंह, भगतराम, बनवारी, तोलाराम तथा दो पुत्रिया कलावती व कमला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 349/335 के खसरा संख्या 199/1 की 1.1630है0 बारानी, खसरा सं0 304/1 की 3.6040है0 बारानी, खसरा नं0 304/2 की 0.7590है0 बारानी, कुल खसरा 3 की 5.5260है0 बारानी कृषिभूमि प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल अकेले की बजाए वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के खाता सं0 349/335 के खसरा संख्या 199/1 की 1.1630है0 बारानी, खसरा सं0 304/1 की 3.6040है0 बारानी, खसरा नं0 304/2 की 0.7590है0 बारानी, कुल खसरा 3 की 5.5260है0 बारानी कृषिभूमि प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चुंकि प्रतिवादी स0 5 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल अकेले की बजाए वादी सतबीरसिंह, प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल, प्रतिवादी सं0 2 तोलाराम, प्रतिवादी सं0 3 बनवारी, प्रतिवादी सं0 4 भगतराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner